22/1/2019 वकुलाय उप०
अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। पत्रावली
दिनांक 29.1.2019 को पेश हो।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

29/1/19 पी. ओ. सा. बाहर पधारे है। [illegible] पत्रावली
दिनांक 12/2/2019 पेश हो।

12/2/2019 वकुलाय उप०
अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। पत्रावली दि.
14/2/2019 को पेश हो।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

14/2/19 वकील मंडल ने आज न्यायालय [illegible] उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया।
[illegible] पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 19/2/19 को पेश हो।

19/2/2019 वकुलाय उप०
वकील अपील० ने लिखित बहस पेश की, जो शामिल मि०
की। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 25/02/2019 को पेश
हो।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

25.02.2019 वकुलाय उपस्थित।
पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी का खातेदार अलोल कंवर द्वारा दिनांक 27.08.1996 को रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के अपीलाण्ट के पक्ष में हस्तान्तरित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बक्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर न कर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का नामान्तरकरण दायर किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः जैर जैर अपील विवादित नामान्तरकरण को अपास्त कराने एवं नामान्तरकरण बक्शीशनामा के आधार पर अपीलाण्ट के नाम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दायर करवाने का निवेदन किया। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम गुडा बींजा तहसील सोजत का नामान्तरकरण संख्या 419 पटवारी हल्का द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली के आदेश क्रमांक / 1011 दिनांक 01.06.1999 एवं तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक / राजस्व / 99 / 1477 दिनांक 09.06.1999 / 10.06.1999 की पालना में दायर करते हुए खातेदार अलालेकंवर की भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया हैं। चूंकि उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में दायर किया गया हैं, इस कारण यदि अपीलाण्ट को जेर अपील विवादित नामान्तरकरण से किसी प्रकार का शिकवा था, तो उन्हें उक्त आदेश को चुनौती दी जानी थी, जिसकी पालना में जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया हैं। नामान्तरकरण की आड में आदेश को अपास्त किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम गुडा बींजा के नामान्तरकरण संख्या 419 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 19.06.1999 की पुष्टि की जाती हैं। इस आदेश की प्रति तहरीर के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलक्टर, पाली	